कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/2019–20/465 दिनांक 09 अगस्त 2019

देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर को दिये गए "कारण बताओ नोटिस" के उत्तर के निस्तारण के संबंध में आदेश

राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित की जा रही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने के संबंध में क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) से प्राप्त अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने के उपरांत हॉस्पिटल द्वारा अनियमितताओं, अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं षडयंत्र/दुरभिसंधि किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत हुआ। अतः इस संबंध में देवकी नंदन हॉस्पिटल को पत्रांक अ0आ0ए0यो0/2019–20/246 दिनांक 10 जून 2019 द्वारा "क़ारण बताओ नोटिस" दिया गया। देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा "कारण बताओ नोटिस" का दिनांक 26 जून 2019 को उत्तर दिया गया। देवकी नंदन हॉस्पिटल को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" हॉस्पिटल को दिनांक 10 जून 2019 को प्राप्त हो गया था। "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। "कारण बताओ नोटिस" में पृष्ठ 7 पर यह भी उल्लेख किया गया था कि " यद्यपि उक्त आरोपों के संबंध में स्वयं देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर के पास सभी अभलेख उपलब्ध हैं, तथापि देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर को यह अवसर भी दिया जाता है कि वह उक्त 15 दिन की अवधि में किसी भी कार्यदिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं।" देवकी नंदन हॉस्पिटल के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि उक्त अवधि में निरीक्षण हेतु नहीं आये। दिनांक 26 जून 2019 को हॉस्पिटल द्वारा निम्न पत्र भी दिया–

"Kindly allowed me to checked out my some files and documents" दिनांक 26 जून 2019 को देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया। यह पूछे जाने पर कि वे किन documents/files का निरीक्षण करना चाहते हैं, देवकी नंदन हॉस्पिटल, के संचालक द्वारा यह कहा गया कि वे निरीक्षण तो नहीं वरन् वे

09.08.19

निदेशक–प्रशासन से मिलकर मौखिक निवेदन करना चाहते हैं। वे निदेशक–प्रशासन से दिनांक 28.06.2019 को मिले तथा उनके द्वारा यह कहा गया कि वे किसी अन्य अभिलेख/पत्रावली को नहीं देखना चाहते हैं बल्कि उनके द्वारा दिये गए उत्तर पर भली–भाँति विचार किये जाने हेतु मौखिक अनुरोध किया गया। निदेशक–प्रशासन द्वारा उनसे कहा गया कि वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपने लिखित उत्तर में कहें, इस पर उनके द्वारा कहा गया कि वे अपना लिखित उत्तर पूर्व में ही दिनांक 26 जून 2019 को कार्यालय को प्रस्तुत कर चुके हैं और उसमें सभी बातें लिख दी गई हैं। "कारण बताओ नोटिस" के दिए गए उत्तर एवं अभिलेखों का सम्यक् अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरांत देवकी नंदन हॉस्पिटल पर लगाए गए आरोपों के संबंध में विवेचन, विश्लेषण/निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :–

<u>आरोप संख्याः 1– (कारण बताओ नोटिस का पैरा–1 तथा पैरा–2)</u>

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 53 मरीजों का ईलाज डा0 विकास गहलोत, जो की एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं, द्वारा निर्गत रेफरल स्लिप्स के आधार पर किया गया है। डा0 विकास गहलोत देवकी नंदन हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के स्पेशलिस्ट के रूप में भी कार्यरत हैं। इस प्रकार डा0 विकास गहलोत जहां एक ओर राजकीय चिकित्सालय में पूर्णकालिक डॉक्टर के रूप में कार्यरत लोक सेवक (public servant) हैं वहीं दूसरी ओर वे निजी चिकित्सालय देवकी नंदन हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं।

डा0 विकास गहलोत द्वारा उक्त सभी 53 केसेस में एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में उपचार न करते हुए उन्हें देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर के "नाम" का उल्लेख करते हुए स्वयं अपने हस्ताक्षर एवं राजकीय अस्पताल की मोहर के साथ रेफर किया गया है। इन 53 मरीजों में से अधिकांश मरीजों का इलाज डा0 विकास गहलोत द्वारा देवकी नंदन हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में स्वयं किया गया है। इसके अतिरिक्त डा0 विकास गहलोत द्वारा 27 इमरजेंसी केसेस का ईलाज भी देवकी नंदन हॉस्पिटल में किया गया है। इस प्रकार राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत रहते हुए डा0 विकास गहलोत द्वारा मरीजों को ईलाज हेतु देवकी नंदन हॉस्पिटल में रेफर करना (जहां वे स्वयं आर्थोपेडिक स्पेशियेलिटी के डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं) अर्थात स्वयं द्वारा स्वयं को ही अन्यत्र रेफर करके उन मरीजों का निजी अस्पताल में स्वयं ईलाज करना डा0 विकास गहलोत तथा देवकी नंदन हॉस्पिटल के मध्य षड़यंत्र/दुरभि संधि तथा गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी इंगित करता है।

09.07.19

आरोप संख्याः 1– का प्रतिउत्तर

उत्तर में यह बताया गया है कि डा0 विकास गहलोत देवकी नंदन हॉस्पिटल में दो–तीन वर्षों से कार्यरत हैं। यह भी कहा गया है कि डा0 विकास गहलोत द्वारा देवकी नंदन हॉस्पिटल को यह बताया गया था कि राजकीय चिकित्सालय में उनकी सेवा के संबंध में "संविदा" की शर्तों के अनुसार वह देवकी नंदन हॉस्पिटल में कार्य करने के लिए सक्षम हैं। योजना के अंतर्गत इम्पैनलमेंट एप्लिकेशन फॉर्म में डा0 विकास गहलोत का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया था तथा उसी के आधार पर देवकी नंदन हॉस्पिटल को योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध (empanel) किया गया था। अतः डा0 विकास गहलोत के सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने से देवकी नंदन हॉस्पिटल में सेवाएं देने में कोई समस्या नहीं थी।

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि डा0 विकास गहलोत द्वारा रेफरल क्यों दिए गए? तथा मरीजों का ईलाज राजकीय अस्पताल में क्यों नहीं किया गया? इनका उत्तर डा0 गहलोत ही दे सकते हैं। डा0 विकास गहलोत का सरकारी अस्पताल में कार्यरत होना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में था और उसके बावजूद भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी। देवकी नंदन हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी द्वारा न तो कभी निवेदन किया गया है और न ही कभी यह अपेक्षा रखी गई है कि डा0 विकास गहलोत अस्पताल को रेफरल दें या सरकारी अस्पताल में सर्जरी न कर देवकी नंदन हॉस्पिटल में सर्जरी करें। इन रैफरल से न तो हॉस्पिटल को कोई लाभ हुआ है और न ही डा0 विकास गहलोत को कोई धनराशि/लाभ दिया गया। देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा कोई षडयंत्र/दुरभि संधि तथा धोखाधड़ी नहीं की गई।

आरोप संख्याः 1– के प्रतिउत्तर का विश्लेषण/निष्कर्ष

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा आरोप के संबंध में दिए गए उत्तर का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि देवकी नंदन हॉस्पिटल में 53 रोगियों का ईलाज उन रैफरल्स के आधार पर किया गया जो एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर द्वारा निर्गत किए गए हैं। इनमें से एक केस प्री–ऑथराइजेशन की स्टेज पर ही निरस्त हो गया था। एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय से यह ये 52 रेफरल्स डा0 विकास गहलोत द्वारा निर्गत किए गए हैं जो कि स्वयं देवकी नंदन हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं। यही नहीं, जो 52 रेफरल डा0 विकास गहलोत द्वारा एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय से स्वयं अपने हस्ताक्षर तथा राजकीय चिकित्सालय की मोहर के साथ निर्गत किए गए हैं, इन रेफरल्स को देवकी नंदन हॉस्पिटल का नाम **"referred hospital"** के रुप में अंकित करके निर्गत किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रेफरल निर्गत किए जाने के संबंध में स्थापित व्यवस्था

09.08.19

(Established Practice) के अनुसार राजकीय अस्पताल से किसी निजी चिकित्सालय को रोगी को रेफर करने हेतु "by name" किसी निजी चिकित्सालय को रेफर नहीं किया जाता है। यही नहीं 28 रेफरल्स में रेफरल निर्गत किए जाने की दिनांक भी अंकित नहीं है। रेफरल्स के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि 32 रेफरल्स में रेफरल संख्या भी अंकित नहीं है। यही नहीं डा0 विकास गहलोत द्वारा 52 रेफरल्स जो एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय (जहाँ वे कार्यरत हैं) से अपने हस्ताक्षर से एवं राजकीय मोहर से देवकी नंदन हॉस्पिटल, (जहाँ पर भी वह कार्यरत हैं) को "by name" रेफरल्स निर्गत किए गए हैं, उनमें से 43 केसेस में देवकी नंदन हॉस्पिटल में स्वयं डा0 विकास गहलोत द्वारा सर्जरी की गई है। इस प्रकार डा0 विकास गहलोत द्वारा स्वयं ही (राजकीय चिकित्सालय से) स्वयं को निजी चिकित्सालय में विशिष्ट सर्जरी का उल्लेख करते हुए रेफरल निर्गत करके स्वयं द्वारा ही सर्जरी/उपचार किया गया है। अभिलेखों एवं रेफरल के परीक्षण एवं उक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि डॉ विकास गहलोत द्वारा एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए दूसरे निजी चिकित्सालय देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर, (जहां वे स्वयं कार्यरत हैं) को निर्गत किए गए रेफरल्स अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत वैध रेफरल्स नहीं हैं तथा इन रेफरल्स के आधार पर योजना के अंतर्गत क्लेम अनुमन्य नहीं हो सकता है।

डा0 विकास गहलोत द्वारा एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर से देवकी नंदन हॉस्पिटल को निर्गत किए गए रेफरल्स में धोखाधड़ी तथा षडयंत्र/दुरभि संधि करके अवैधानिक क्लेम्स प्राप्त किए जाने की आपराधिक कृत्य के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की कार्रवाई पृथक से की जाएगी।

<u>आरोप संख्याः 2– (कारण बताओ नोटिस का पैरा 3)</u>

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत देवकी नन्दन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर द्वारा सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से दिनांक 16 मई 2019 तक कुल 143 मरीजों का उपचार किया गया है, इनमें से 07 रोगियों की सर्जरी तथा उपचार भर्ती/एडमिशन/रजिस्ट्रेशन/प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही कर दिया जाना दर्शाया गया है जो कि असम्भव एवं अप्रत्याशित है। इन 07 रोगियों से सम्बन्धित विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

09.04.19

Table: List of 07 cases where surgery/treatment done before admission/registration /Pre-auth approval.

S. No	Case Number	Admission Date	Pre Auth Initiation Date	Pre Auth Approval Date	Surgery Date	Discharge Date	Admission Type	Pre Auth Approval Amount	Paid/Unpaid
1	CASE/HOSP5P2303 1/D49738	12-04-2019 17:31	16-04-2019 13:31	20-04-2019 00:49	03-04-2019 00:00	04-04-2019 00:00	Emergency	25000	Unpaid
2	CASE/HOSP5P2303 1/D49637	12-04-2019 16:54	13-04-2019 18:13	14-04-2019 00:19	09-04-2019 00:00	10-04-2019 00:00	Planned	25000	Unpaid
3	CASE/HOSP5P2303 1/D49083	12-04-2019 14:29	12-04-2019 15:03	16-04-2019 00:38	10-04-2019 00:00	12-04-2019 00:00	Emergency	10000	Unpaid
4	CASE/HOSP5P2303 1/D49184	12-04-2019 13:54	12-04-2019 15:36	19-04-2019 01:04	09-04-2019 00:00	12-04-2019 00:00	Planned	20000	Unpaid
5	CASE/HOSP5P2303 1/D46085	09-04-2019 18:37	09-04-2019 19:31	10-04-2019 00:40	08-04-2019 00:00	12-04-2019 00:00	Planned	11000	Unpaid
6	CASE/HOSP5P2303 1/S50962	08-04-2019 16:38	17-04-2019 17:58	17-04-2019 23:35	05-04-2019 00:00	08-04-2019 00:00	Planned	20000	Unpaid
7	CASE/HOSP5P2303 1/E31167	29-03-2019 13:03	29-03-2019 13:09	29-03-2019 15:46	28-03-2019 00:00	02-04-2019 00:00	Planned	25000	Unpaid
							Total	136000	

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा अनुबंध की शर्तों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया गया है तथा मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने का संदेह भी उत्पन्न करता है।

आरोप संख्याः 2– का प्रतिउत्तर

यह कि नोटिस की चरण संख्या 3 में दिए गए कथन अस्वीकार हैं। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि अस्पताल द्वारा कोई फर्जी कागज नहीं बनाए और सर्जरी/उपचार की सही दिनांक एवं मरीजों का सही रिकॉर्ड पोर्टल पर भेजा गया और उसी आधार पर सक्षम जांच के पश्चात प्री–ऑथ अप्रूवल प्रदान किया गया। किसी भी कागज एवम रिकॉर्ड में यह सर्जरी की दिनांक न तो बदली गई और न ही एडमिशन दिनांक के कोई भी झूठे कागज तैयार किए गए। इन सारी सर्जरी की पुष्टिकरण रोगियों से किया जा सकता है। अतः यह आरोप कि अस्पताल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया है तथा मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत किया है असत्य, निराधार एवं गलत है।

वास्तविकता यह है कि समस्त दस्तावेज सर्जरी के दिनांक के साथ प्रीऑथराइजेशन के लिए पोर्टल पर दाखिल किए गए और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विभाग द्वारा सक्षम जांच के पश्चात प्रिऑथराइजेशन दिया गया। सर्जरी दिनांक एवं एडमिशन दिनांक भिन्न होने की तिथि पर विभाग द्वारा क्लेम को रिजेक्ट किया जाना चाहिए परंतु क्लेम को अनुमति दी गई कोई आपत्ति एवं

09.08.19

रिजेक्शन न होने के कारण किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं था और एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना कार्य निश्चिंत होकर करता रहा।

आरोप संख्या 2 के प्रतिउत्तर का विश्लेषण/निष्कर्ष

आरोप संख्या –2 के संबंध में हॉस्पिटल द्वारा दिये गए उत्तर का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुए अनुबंध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) में निम्न प्राविधान है:–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा स्पष्टतया अनुबंध कि उक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उक्त आरोप के संबंध में सारिणी के अध्ययन से विदित होता है कि 5 केसेस में अस्पताल द्वारा रोगियों का उपचार करने तथा उपचार करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है तथा उसके बाद प्री–ऑथराइजेशन का अप्रूवल लिया गया है। इस संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:–

1. केस न0 D49738

   रोगी की सर्जरी 03.04.2019 को की गई है तथा उसके पश्चात् रोगी को 04.04.2019 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यद्यपि रोगी की सर्जरी 03.04.2019 को तथा उसे 04.04.2019 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था किंतु हॉस्पिटल द्वारा उसे 12.04.2019 को हॉस्पिटल में भर्ती होना दर्शाया गया है तथा 20.04.2019 को उपचार के लिए प्री–ऑथराईजेशन का अप्रूवल हुआ है। इसी प्रकार अन्य केसेस की स्थिति भी निम्न प्रकार है:–

2. केस न0 D49637

   (a) सर्जरी की तिथि – 09–04–2019

(b) डिस्चार्ज की तिथि– 10–04–2019

(c) भर्ती की तिथि– 12–04–2019

(d) Pre-Auth approval की तिथि– 14–04–2019

3. केस न0 D49083

(a) सर्जरी की तिथि – 10–04–2019

(b) डिस्चार्ज की तिथि– 12–04–2019

(c) भर्ती की तिथि–12–04–2019

(d) Pre-Auth approval की तिथि– 16–04–2019

4. केस न0 D49184

(a) सर्जरी की तिथि – 09–04–2019

(b) डिस्चार्ज की तिथि– 12–04–2019

(c) भर्ती की तिथि–12–04–2019

(d) Pre-Auth approval की तिथि– 19–04–2019

5. केस न0 S50962

(a) सर्जरी की तिथि – 05–04–2019

(b) डिस्चार्ज की तिथि– 08–04–2019

(c) भर्ती की तिथि– 08–04–2019

(d) Pre-Auth approval की तिथि– 17–04–2019

उक्त 05 केसेस के विश्लेषण से यह विदित होता है कि उपचार और तत्पश्चात क्लेम प्राप्त करने में देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा गंभीर अनियमितताएं तथा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। क्रमांक 1 पर दर्शित केस में रोगी को डिस्चार्ज करने के 08 दिन बाद भर्ती किया गया है तथा सर्जरी की तिथि से 09 दिन बाद भर्ती करके सर्जरी की तिथि से 13 दिन बाद प्री–ऑथ इनीशिएट किया गया है, यह स्थिति अकल्पनीय तथा असंभव है। ये केसेस न केवल फर्जी प्रतीत होते हैं वरन् ये योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी किए जाने का कुत्सित प्रयास है। क्रमांक 2 पर अंकित केस में भी रोगी की सर्जरी करने के 03 दिन पश्चात् उसे भर्ती किया गया है तथा सर्जरी करने के 05 दिन बाद प्री–ऑथ अप्रूवल हुआ है। अतः इस केस में भी अनुबंध का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी की गई प्रतीत होती है। क्रमांक 3 पर अंकित केस में भी सर्जरी करने के 02 दिन पश्चात् रोगी को भर्ती किया गया है तथा रोगी को डिस्चार्ज करने के 04 दिन बाद प्री–ऑथ

09.04.19

अप्रूवल लिया गया है। क्रमांक 4 पर अंकित केस में भी यही स्थिति है। इस मामले में रोगी की सर्जरी करने के 10 दिन पश्चात् प्री–ऑथ अप्रूवल लिया गया है। क्रमांक 5 पर अंकित केस में भी रोगी की सर्जरी करने के 12 दिन पश्चात् प्री–ऑथ अप्रूवल लिया गया है तथा रोगी को डिस्चार्ज किए जाने के 09 दिन बाद प्री–ऑथ इनिशियेट किया गया।

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप के प्रतिउत्तर में अस्पष्ट, vague तथा अप्रासंगिक उत्तर दिया है। अपने स्पष्टीकरण में न तो कोई तथ्य दिए हैं और न ही इन गंभीर अनियमितताओं एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन और विसंगतियों का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। इस आरोप के संबंध में हॉस्पिटल द्वारा दिया गया उत्तर नितांत असंतोषजनक है तथा कतई स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आरोप में उल्लेख किए गए 5 केसेस में 02 केसेस (D49738 तथा S50962)आंतरिक कियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) द्वारा क्लेम्स संस्तुत नहीं किये गये। इन सभी 5 केसेस के संबंध में क्लेम्स अनुमन्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा इस संबंध में योजना की गाईडलाइन्स के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार अर्थदण्ड लगाए जाने का भी पूर्ण औचित्य है। देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा इन 5 केसेस में धोखाधड़ी करके फर्जी क्लेम्स प्राप्त करने के आपराधिक कृत्य के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराके अलग से कार्रवाई की जायेगी।

<u>आरोप संख्याः 03– (कारण बताओ नोटिस का पैरा 4)</u>

अभिलेखों के अनुसार देवकी नन्दन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से दिनांक 16 मई 2019 तक कुल 143 मरीजों का ईलाज किया गया है। कुल उपचारित मरीजों में से **61 केसेस मे सर्जरी/उपचार प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व ही कर दिया गया है।** इन 61 केसेस में से 18 केसेस इमरजेंसी के हैं तथा 43 केसेस प्लान्ड हैं। इन 61 रोगियों से सम्बन्धित विवरण कारण बताओ नोटिस में दी गई तालिका में दिया गया है।

देवकी नन्दन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorisation, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorisation unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है–

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

07.08.19

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

उपरोक्त 61 केसेस में से 18 केसेस इमरजेंसी भर्ती हुए हैं तथा अन्य 43 केसेस प्लांड केसेस हैं। देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा Planned Cases में बिना प्री–ऑथ अप्रूवल के तथा Emergency Cases में बिना TPIN लिये उपचार/सर्जरी की गयी है। यह तथ्य भी दर्शाता है कि चिकित्सालय द्वारा अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन न करते हुए अवैधानिक रूप से योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया है। देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर का यह कृत्य मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने का संदेह भी उत्पन्न करता है।

<u>आरोप संख्याः 3– का प्रतिउत्तर</u>

यह की नोटिस की चरण संख्या 4 में दिए गए कथन अस्वीकार हैं। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि अस्पताल द्वारा कोई फर्जी कागज नहीं बनाए और सर्जरी/उपचार की सही दिनांक एवं मरीजों का सही रिकॉर्ड पोर्टल पर भेजा गया और उसी आधार पर सक्षम जांच के पश्चात प्रिऑथराइजेशन प्रदान किया गया। किसी भी कागज एवम रिकॉर्ड में यह सर्जरी की दिनांक ना तो बदली गई और ना ही एडमिशन दिनांक के कोई भी झूठे कागज तैयार किए गए। इन सारी सर्जरी की पुष्टिकरण रोगियों से किया जा सकता है। अतः यह आरोप कि अस्पताल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया गया है तथा मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत किया है असत्य, निराधार एवं गलत है।

वास्तविकता यह है कि समस्त दस्तावेज सर्जरी के दिनांक के साथ प्रीऑथराइजेशन के लिए पोर्टल पर दाखिल किए गए और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विभाग द्वारा सक्षम जांच के पश्चात प्रिऑथराइजेशन दिया गया। सर्जरी दिनांक एवं एडमिशन दिनांक भिन्न होने की तिथि पर विभाग द्वारा क्लेम को रिजेक्ट किया जाना था परंतु क्लेम को अनुमति दी गई। कोई आपत्ति एवं रिजेक्शन ना होने के कारण किसी को भी किसी तरह का संदेह नहीं था और एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना कार्य निश्चिंत होकर करता रहा।

यह कि प्लांड केसेस में प्री–ऑथ अप्रूवल तथा इमरजेंसी केसेस में बिना टीपीआईएन लिए उपचार/सर्जरी की गई हो, कहना गलत है और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया गया है तथा मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत किया है असत्य, निराधार एवं गलत है।

यह कि नोटिस की चरण संख्या 4 में दर्शाई गई तालिका के प्रारंभ के 8 केसेस में विभाग द्वारा प्री–ऑथ अप्रूवल करने के पश्चात भुगतान भी किया गया तथा शेष अन्य केसेस में विभाग द्वारा प्री–ऑथ अप्रूवल दिया गया किंतु उनका भुगतान नहीं किया गया। हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्य की सूचना समय अनुसार व क्रमबद्ध तरीके से विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध कराते रहे क्योंकि हमारा ध्यान योजना के सफल क्रियान्वयन जनहित में है। विभाग इसकी पुष्टि एवं संतुष्टि अपने स्तर पर कर सकता है। विभाग द्वारा निरंतर अस्पताल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारे द्वारा उसका उत्तर समय–समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा उद्देश्य फर्जी क्लेम करने का ना कभी था और ना कभी है और ना कभी रहेगा।

यह कि विभाग को सभी सूचनाएं स्वयं अस्पताल द्वारा दी गई है जिससे यह स्पष्ट है कि अस्पताल द्वारा किसी भी सूचना को नहीं छुपाया गया है। अतः अस्पताल द्वारा संदेह एवं धोखाधड़ी करने का कोई औचित्य नहीं है।

यह कि हमारा उद्देश्य योजना के अंतर्गत जनहित में सफलतापूर्वक इलाज करना है। हमने सभी कार्य नीति अनुरूप किए हैं। विभाग द्वारा मरीजों से जानकारी लेकर संतुष्टि तथा पुष्टि की जा सकती है। हमारे द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी की गई है और ना कोई फर्जी क्लेम प्रस्तुत किया गया है। हमारे द्वारा पूरी ईमानदारी से योजना के अंतर्गत कार्य किया गया है।

<u>आरोप संख्याः 3– के प्रतिउत्तर का विश्लेषण/निष्कर्ष</u>

आरोप संख्या 3 के संबंध में देवकी नंदन अस्पताल द्वारा दिए गए उत्तर का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। अस्पताल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अत्यंत vague, जनरल तथा तर्कहीन हैं। अस्पताल द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है कि अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट प्राविधान होते हुए भी प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व सर्जरी क्यों की गई? देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप को स्वीकार तो किया गया है किंतु अपने स्पष्टीकरण में यह तर्क दिया जाना कि प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व यदि सर्जरी कर दी गई थी तो विभाग द्वारा क्लेम क्यों स्वीकार किए गए? कतई मान्य नहीं है। देवकी नंदन हॉस्पिटल अनुबंध के अधीन कार्य कर रहे हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अस्पताल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की सभी गाईडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। NHA द्वारा क्लेम ऑडिट की गाईडलाइंस भी निर्गत की गई हैं। अस्पताल द्वारा प्राप्त क्लेम्स के संबंध में क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के आधार पर ऑडिट करने पर यह स्पष्ट हुआ कि अस्पताल द्वारा प्री–ऑथ अप्रूवल से पूर्व सर्जरी की गई है, जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है और ऐसे क्लेम्स अनुमन्य नहीं हो सकते हैं। यदि पूर्व में क्लेम अप्रूव भी कर दिए गए तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें ऑडिट के पश्चात रिव्यू करके (और यदि वे अनुबंध की शर्तों के अनुसार अप्रूव होने योग्य नहीं है) निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः देवकी नंदन हॉस्पिटल का स्पष्टीकरण असंतोषजनक है तथा स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि अनुबंध

की शर्तों के अनुसार प्री–ऑथ अप्रूवल के पश्चात् ही सर्जरी की जानी चाहिए किंतु यदि lenient view लेकर अपवाद स्वरूप किन्ही केसेस में सर्जरी के पश्चात् प्री–ऑथ अप्रूवल प्राप्त करने में एक–दो दिन का विलंब स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी निम्न 27 केसेस में देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा रोगियों की सर्जरी करने के 03 दिन से 26 दिन के पश्चात प्री–ऑथ अप्रूवल प्राप्त किया गया है। इन 27 केसेस में से 5 केसेस आरोप संख्या 02 में भी सम्मिलित हैं, अतः शेष 22 केसेस में क्लेम्स को निरस्त किए जाने का पूर्ण औचित्य है। हॉस्पिटल द्वारा धोखाधड़ी करके अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु फर्जी क्लेम किये जाने के आपराधिक कृत्य के आरोप के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अलग से कार्रवाई की जायेगी।

Table: List of 27 cases where surgery/treatment done before Pre-auth approval.

S. No	Case Number	Pre Auth Approval Date	Surgery Date	Pre Auth Approval Amount	No.of days
1	2	3	4	5	3-4
1.	CASE/HOSP5P23031/D14956	11-03-2019 16:22	07-03-2019 00:00	20000	4
2.	CASE/HOSP5P23031/D60731	23-04-2019 00:34	20-04-2019 00:00	25000	3
3.	CASE/HOSP5P23031/D60750	30-04-2019 00:28	22-04-2019 00:00	20000	8
4.	CASE/HOSP5P23031/S54387	21-04-2019 21:34	15-04-2019 00:00	16000	6
5.	CASE/HOSP5P23031/E52995	17-04-2019 13:39	13-04-2019 00:00	15000	4
6.	CASE/HOSP5P23031/D53506	20-04-2019 00:34	15-04-2019 00:00	20000	5
7.	CASE/HOSP5P23031/D52435	19-04-2019 23:34	13-04-2019 00:00	25000	6
8.	CASE/HOSP5P23031/S54142	20-04-2019 23:04	15-04-2019 00:00	25000	5
9.	CASE/HOSP5P23031/D50095	18-04-2019 00:07	08-04-2019 00:00	20000	10
10.	CASE/HOSP5P23031/S50643	19-04-2019 23:19	12-04-2019 00:00	30000	7
11.	*CASE/HOSP5P23031/D49738	20-04-2019 00:49	03-04-2019 00:00	25000	17
12.	*CASE/HOSP5P23031/D49637	14-04-2019 00:19	09-04-2019 00:00	25000	5
13.	*CASE/HOSP5P23031/D49083	16-04-2019 00:38	10-04-2019 00:00	10000	6
14.	CASE/HOSP5P23031/D49342	18-04-2019 00:43	12-04-2019 00:00	10000	6
15.	*CASE/HOSP5P23031/D49184	19-04-2019 01:04	09-04-2019 00:00	20000	10
16.	CASE/HOSP5P23031/S51940	15-04-2019 12:39	10-04-2019 00:00	20000	5
17.	CASE/HOSP5P23031/E47101	13-04-2019 12:56	10-04-2019 00:00	10000	3
18.	CASE/HOSP5P23031/D46940	10-04-2019 18:27	05-04-2019 00:00	10000	5
19.	CASE/HOSP5P23031/D52346	15-04-2019 15:36	09-04-2019 00:00	15000	6
20.	*CASE/HOSP5P23031/S50962	17-04-2019 23:35	05-04-2019 00:00	20000	12
21.	CASE/HOSP5P23031/D46875	10-04-2019 18:25	06-04-2019 00:00	10000	4
22.	CASE/HOSP5P23031/D50573	14-04-2019 00:49	06-04-2019 00:00	20000	8
23.	CASE/HOSP5P23031/D44370	13-04-2019 17:05	07-04-2019 00:00	20000	6
24.	CASE/HOSP5P23031/E54188	17-04-2019 13:49	03-04-2019 00:00	40000	14
25.	CASE/HOSP5P23031/D27311	20-04-2019 00:04	25-03-2019 00:00	25000	26
26.	CASE/HOSP5P23031/D31288	14-04-2019 00:34	26-03-2019 00:00	20000	19
27.	CASE/HOSP5P23031/D26484	20-04-2019 00:19	25-03-2019 00:00	25000	26
*उक्त 5 केसेस आरोप संख्या 02 में भी शामिल हैं (overlapping)			Total	541000	

09.08.19

आरोप संख्याः 4– (कारण बताओ नोटिस का पैरा 5)

देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिये गए आवेदन पत्र में जनरल मेडिसिन की स्पेशियेलिटी हेतु आवेदन नहीं किया गया और न ही जनरल मेडिसिन की इस विधा के उपचार हेतु कोई स्पेशियलिस्ट आवेदन पत्र में दर्शाया गया है। सूचीबद्ध होने की तिथि से दिनांक 16 मई 2019 तक कुल 07 केसेस जनरल मेडिसिन में उपचारित किये गए हैं जिनका ईलाज सर्जन के द्वारा किया गया है जो की नियमानुसार अमान्य है। इन 07 केसेस का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है–

Table: List of 07 cases where treatment was done in General Medicine cases for which hospital is not empanelled and no specialists for General medicine is available in the hospital

S. No	Case Number	Speciality	Procedure	Surgery Date	Discharge Date	Admission Type	Preauth Approved Amount	Paid/Unpaid
1.	CASE/HOSP5P23031/E18647	General Medicine	Severe anemia	18-03-2019 00:00	21-03-2019 00:00	Emergency	5400	Paid
2.	CASE/HOSP5P23031/D10842	General Medicine	Acute bronchitis	26-02-2019 00:00	26-02-2019 00:00	Planned	3600	Paid
3.	CASE/HOSP5P23031/E5713	General Medicine	Severe anemia	01-03-2019 00:00	01-03-2019 00:00	Emergency	1800	Paid
4.	CASE/HOSP5P23031/D4918	General Medicine	Severe anemia	01-03-2019 00:00	01-03-2019 00:00	Emergency	3600	Paid
						Total	14400	
5.	CASE/HOSP5P23031/D20541	General Medicine	Severe anemia	20-03-2019 00:00	23-03-2019 00:00	Emergency	1800	Unpaid
6.	CASE/HOSP5P23031/D17904	General Medicine	Acute and chronic pancreatitis	15-03-2019 00:00	19-03-2019 00:00	Emergency	9000	Unpaid
7.	CASE/HOSP5P23031/D17919	General Medicine	Acute and chronic pancreatitis	15-03-2019 00:00	19-03-2019 00:00	Emergency	9000	Unpaid
						Total	19800	

उपरोक्तानुसार देवकी नन्दन हॉस्पिटल द्वारा जनरल मेडिसिन में सूचीबद्धता न होते हुए भी कुल 07 केसेस जनरल मेडिसिन में उपचारित किये गए हैं जिनका ईलाज सर्जन के द्वारा किया गया है जो की नियमानुसार अमान्य है। इस प्रकार देवकी नन्दन हॉस्पिटल, काशीपुर का यह कृत्य मरीजों के उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने का संदेह भी उत्पन्न करता है।

आरोप संख्याः 4–का प्रतिउत्तर

यह कि नोटिस की चरण संख्या 5 में 7 केसेस में किए गए ट्रीटमेंट एमबीबीएस एम0एस0 द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। उन्हें मेडिसिन लिस्ट से इसलिए उठाया गया क्योंकि वह सर्जरी में सूचीबद्ध नहीं थे।

हमारा अस्पताल जनरल मेडिसिन में भी सूचीबद्ध है इसमें किसी भी उपचार में अवैधानिक लाभ प्राप्त करने या धोखाधड़ी करने का हमारा उद्देश्य ना कभी था और ना कभी

29.08.19

रहेगा। विभाग इसकी पुष्टि एवं संतुष्टि अपने स्तर से कर सकता है। विभाग द्वारा अधिकतर मरीजों के विषय में समय–समय पर पूछे गए सवालों के उत्तर भी बार–बार प्रस्तुत किए गए हैं।

यह कि हमारा अस्पताल जनरल मेडिसिन में सूचीबद्ध है, का पुष्किरण इस बात से होता है कि यदि अस्पताल जनरल मेडिसिन में सूचीबद्ध ना होता तो उसका पोर्टल में उसका ऑप्शन ना होता। इस संबंध में पोर्टल की स्क्रीनशॉट संलग्न है।

<u>आरोप संख्या: 4–का प्रतिउत्तर का विश्लेषण/निष्कर्ष</u>

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कराने हेतु जो आवेदन पत्र दिया गया उसके अवलोकन/अध्ययन से यह विदित होता है कि हॉस्पिटल द्वारा निम्न 5 विधाओं में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन दिया गया है:–

1- **General Surgery**
2- **Obstetrics & Gynaecology**
3- **Orthopaedics**
4- **Polytrauma**
5- **Dental Surgery**

उक्त से यह स्पष्ट होता है कि हॉस्पिटल द्वारा जनरल मेडिसिन विधा के लिए सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन नहीं किया गया। देवकी नंदन हॉस्पिटल के उक्त 5 विधाओं हेतु प्रपोजल को **accept** करके हॉस्पिटल को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। अतः देवकी नंदन हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन विधा के लिए सूचीबद्ध **(empanelled)** नहीं है। हॉस्पिटल द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिए गए आवेदन पत्र में उक्त 5 विधाओं के लिए कार्यरत डॉक्टर्स के नाम व योग्यता भी अंकित की गई है। जिन डॉक्टर्स का विवरण हॉस्पिटल द्वारा दिया गया है उनमें जनरल मेडिसिन हेतु कोई डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिए गए आवेदन पत्र तथा दिये गये डॉक्टर्स का विवरण निम्न प्रकार है :–

	Duty Doctor	**No Manpower added**

	Specialist						
S.No	**Doctor Name**	**Highest Qualification**	**specialization**	**Doctor Registration No**	**Experience (Years)**	**Mobile No**	**Email Id**
1	DR PUNEET BANSAL	MS (Master of Surgery)	General Surgery	123	15	6396281556	devkinandankksp@gmail.com
2	DR VIKAS GEHLOT	MS (Master of Surgery)	Orthopaedics	1234678	5	6396281556	devkinandankksp@gmail.com

09.08.19

3	DR DIVYA	MS (Master of Surgery)	Obstetrics & Gynaecology	1234	5	6396281556	devkinandankkshp@gmail.com
4	DR SANJAY KUMAR	M. Ch. (Master of Chirurgiae)	Others	1234567	5	6396281556	devkinandankkshp@gmail.com
5	DR SWETA	BDS (Bachelor of Dental Surgery)	Dental Surgery	12345	10	6396281556	devkinandankkshp@gmail.com
	Anaesthetists						
1	DR ANIL KUMAR LUMBA	MBBS (Bachelor of Medicine and bachelor of surgery)	Others	123456	35	6396281556	devkinandankkshp@gmail.com

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि देवकी नंदन हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन के लिए न तो इम्पैनल्ड है और न ही जनरल मेडिसिन विधा के उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर उपलब्ध है किंतु इसके बावजूद भी हॉस्पिटल द्वारा इस आरोप की टेबल में दिए गए जनरल मेडिसिन विधा के 7 रोगियों का उपचार करके क्लेम फाइल किए गए हैं।

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा अपने उत्तर में यह कहना कि उनका हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन के लिए भी सूचीबद्ध है, पूर्णतः झूठा कथन है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, न तो हॉस्पिटल द्वारा जनरल मेडिसिन विधा में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन किया गया था, न ही उनकी सूचीबद्धता में जनरल मेडिसिन की विधा सम्मिलित है और न ही हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन विधा का कोई डॉक्टर कार्यरत है। हॉस्पिटल द्वारा दिया गया उत्तर न केवल पूर्णतया गलत है, वरन् धोखाधड़ी करके अवैधानिक क्लेम्स लिए गये हैं। हॉस्पिटल का उत्तर तथ्यों के आधार पर पूर्णतया असंतोषजनक है।

उक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि देवकी नंदन हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन विधा के लिए इम्पैनल्ड नहीं है, हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन की स्पेशियेलिटी हेतु कोई डॉक्टर कार्यरत नहीं है, हॉस्पिटल द्वारा जनरल मेडिसिन विधा हेतु 7 रोगियों का उपचार अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में कवर नहीं होता है, अतः उक्त 7 रोगियों का क्लेम योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। यही नहीं उक्त 7 रोगियों के जनरल मेडिसिन विधा के रोगियों का उपचार सर्जन द्वारा किया गया है जो उपचार की गुणवत्ता की दृष्टि से तथा स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस के अनुसार घोर आपत्तिजनक भी है। यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि हॉस्पिटल द्वारा उक्त 7 मरीजों के उपचार हेतु धोखाधड़ी करके अवैधानिक क्लेम किए जाने का आपराधिक कृत्य भी किया गया है जिसके लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (**FIR**) दर्ज करके पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा अस्पताल को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गए आवेदन–पत्र में कार्यरत डाक्टर्स के विवरण के संबंध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मेडिकल ड्यूटी डाक्टर के रुप में कोई भी round the clock डाक्टर उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी "Guidelines on Process of Empanelment for Hospital" के Annexure -01, जिसमें सूचीबद्धता (Empanelment) की अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया है, में यह निर्धारित है कि "hospital applying for empanelment should have adequate MBBS doctors physically in charge round the clock."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि "The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत "National Council for Clinical Establishments" द्वारा बनाये गये न्यूनतम मानकों (minimum standards) के अनुसार अस्पताल द्वारा उपचार की प्रत्येक Speciality के लिए न्यूनतम एक "Round the Clock MBBS Duty Doctor" अस्पताल में उपलब्ध होना आवश्यक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल (Empanelled Health Care provider) द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा निर्गत सभी Guidelines का पालन करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में अनुबंध में निम्न प्राविधान हैः–

"Section 8: General responsibilities and obligations of the EHCP"

"13. The EHCP agrees to follow the guidelines issued further by Department of Medical Health & Family Welfare, Uttarakhand/MoHFW/NHA/SHA for the implementation of the Atal Ayushman Uttarakhand Scheme/AB-PMJAY."

देवकी नंदन हॉस्पिटल, जैसा की पूर्व में उल्लेख किया गया है, 5 विधाओं के लिए सूचीबद्ध किया गया है किंतु उसमें round the clock डाक्टर के रुप में एक भी MBBS मेडिकल ऑफिसर कार्यरत नहीं है। यही नहीं देवकी नंदन हॉस्पिटल में जो स्पेशियलिस्टस् दिखाये गये हैं, उनके Uttarakhand Medical Council में रजिस्ट्रेशन न0 (123, 1234, 12345,123456,1234567, 12345678) न केवल गलत हैं, वरन् अत्यंत हास्यास्पद भी हैं। हॉस्पिटल के यह कृत्य उसकी कार्य–प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं।

04.2019

आरोप संख्याः 5–(कारण बताओ नोटिस का पैरा 6)

आरोप संख्या 5 में वर्णित केस HOSP5P23031/D10842 चूंकि आरोप संख्या 4 में भी आता है अतः इस आरोप की विवेचना किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह आरोप drop किया जाता है।

आरोप संख्याः 6– (कारण बताओ नोटिस का पैरा 7)

एक अन्य केस संख्या CASE/HOSP5P23031/E11708 (Pre-auth approved amount Rs. 10000/- Paid), मरीज ओमवती, जिनका कार्ड संख्या PJT3M16LT है, जो की दिनांक 11 फरवरी 2019 को Cholelithiasis की डायग्नोसिस के साथ भर्ती हुई थी एवं 11 फरवरी 2019 को भर्ती स्लिप पर Cholecystectomy प्लान की गई थी परंतु भर्ती की तिथि तक मरीज का कोई भी परीक्षण जैसे अल्ट्रासाउण्ड एबडोमिन/ एक्स–रे एबडोमिन नहीं किया गया था। मरीज का अल्ट्रासाउण्ड दिनांक 13 फरवरी 2019 को करवाया गया है। ऐसे में दिनांक 11 फरवरी 2019 को ही सर्जरी प्लान करना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है कि मरीज को सर्जरी की आवश्यकता थी अथवा नहीं।

आरोप संख्याः 6– का प्रतिउत्तर

यह कि नोटिस की चरण संख्या 7 ओमवती 11 फरवरी को पुरानी अल्ट्रासाउंड के साथ भर्ती हुई। उनको 3 दिन का कंजरवेटिव ट्रीटमेंट किया गया जिसका क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया। 13 फरवरी को उसका नया अल्ट्रासाउंड करने के उपरांत 14 फरवरी को cholecystectomy भी की गई। इस मरीज के संबंध में समय–समय पर प्रश्नों के उत्तर भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मरीज से संबंधित समस्त कागज इस उत्तर के साथ संलग्न किए जा रहे हैं जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अल्ट्रासाउंड दिनांक 25.01.2019 उपलब्ध होने के कारण सर्जरी प्लान की गई और सर्जरी करने के पहले दिनांक 13.02.2019 को नया अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसके बाद 14–02–2019 को सर्जरी कराई गई। अतः इससे न तो कोई अवैधानिक लाभ प्राप्त हुआ और ना ही कोई धोखाधड़ी कर फर्जी क्लेम प्रस्तुत किया।

आरोप संख्याः 6 के प्रतिउत्तर के संबंध में विश्लेषण/निष्कर्ष

आरोप संख्या 6 के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण किया गया तथा अभिलेखों की जांच भी की गई। देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक प्रतीत होता है अतः इस आरोप को drop किया जाता है।

09.09.19

–आदेश–

देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/246 दिनांक 10 जून 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लगाये गये 6 आरोपों के क्रम में उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त 04 आरोपों, आरोप संख्या 1 से लेकर 4 तक की पुष्टि होती है। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की गाईडलाइन्स तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते है–

i. देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध रखा जाना जनहित में वांछनीय नहीं है। **अतः देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसका de-empanelment किया जाता है।**

ii. देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर के आरोप संख्या 01 से 04 में वर्णित **कुल 91 केसों (52+5+27+7) में से overlapped केसेस हटाते हुए 66 केसेस (धनराशि रू0 1232700/–) के क्लेम निरस्त** किये जाते है।

iii. देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर के निरस्त किये गये कुल 66 केसेस में से 40 केसेस की धनराशि रू0 744800/– जो उनके द्वारा क्लेम की गई है और जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, की धनराशि हॉस्पिटल को अनुमन्य नहीं है तथा उसका भुगतान नहीं किया जायेगा।

iv. उपरोक्त कुल 66 केसेस में से **26 केसेस की धनराशि रू0 487900/–** जो देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा **प्राप्त की जा चुकी है,** राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को **7 दिन में वापिस करे।**

v. आरोप संख्या 2 एवं 4 में वर्णित कुल 12 केसेस में क्लेम की गई धनराशि **रू0 134200/–** जो कि हॉस्पिटल द्वारा क्लेम की गई है, पर समुचित विचारोपरांत **दो गुना दण्ड रू0 268400/– भी लगाया जाता है।**

vi. देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के द्वारा क्लेम किये गये लम्बित कुल 69 क्लेमस् जिसकी कुल धनराशि रू0 1176550/– है। इन 69 केसेस में बिन्दु (iii) में वर्णित आरोपित 40 केसेस की धनराशि रू0 744800/– भी सम्मिलित है जिसका भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार शेष 29 केसेस (69–40= 29) की धनराशि रू0 431750/– के क्लेम्स का भुगतान ही अनुमन्य है।

09.07.19

vii. देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर के पूर्व में लम्बित समस्त देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखे जाने के आदेश कारण बताओ नोटिस सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/246 दिनांक 10.06.2019 में दिये गये थे। वर्तमान में उपरोक्त बिंदु (vi) में वर्णित धनराशि रू0 431750/– का भुगतान देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर को SHA को अनुमन्य है। अतः हॉस्पिटल को भुगतान की जाने वाली इस धनराशि रू0 431750/– का समायोजन बिंदु (iv) व (v) में वर्णित कुल वसूल की जाने वाली धनराशि रू0 756300/– (487900+268400) से किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः इस समायोजन के पश्चात शेष धनराशि रू0 324550/– (756300–431750) चिकित्सालय द्वारा SHA को वापिस करनी होगी।

viii. अतः इस आदेश के बिंदु (vii) में वर्णित **कुल धनराशि रू0 324550/– को** देवकी नंदन हॉस्पिटल, काशीपुर **इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को "CEO ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND YOJANA" के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा HDFC Bank, Account no. 50100102180582, IFSC code: HDFC 0000225 में RTGS/ NEFT के माध्यम से वापिस करना सुनिश्चित करें।** RTGS/ NEFT के माध्यम से उक्त धनराशि वापिस करने की दशा में Unique Transaction ID इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ix. निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

x. देवकी नंदन हॉस्पिटल द्वारा धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, षड़यंत्र/दुरभि संधि आदि के संबंध में जो आपराधिक कृत्य किये गए हैं, उनके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करके पृथक से कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश को डा0 पुनीत बंसल, संचालक देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

9.08.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष रुप से आरोप संख्या–1 के संबंध में कार्रवाई हेतु।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डा0 पुनीत बंसल, संचालक देवकी नंदन हॉस्पिटल, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना